Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.
Supply Appeal No.- 80/2021
Renu kumari ....Appellant.
Versus
The State of Bihar & Ors ....Respondent.

Web Copy. Not Official.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	11.03.2023	**आदेश** प्रस्तुत आपूर्ति अपील वाद जन वितरण प्रणाली विक्रेता के चयन हेतु जिला पदाधिकारी, पूर्णिया की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा दिनांक–29.09.2018 को निर्गत आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि सरकार के ज्ञापांक–04, पी0डी0एस0–01/2015/87, दिनांक–10.03.2016 के माध्यम से बिहार के सभी जिलों के पंचायत में जन वितरण प्रणाली के दुकान के संचालन के लिए अनुज्ञप्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। अपीलार्थी अनु0 जाति वर्ग से पूर्णिया जिला के अमौर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत आमगाछी के अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन की। अपीलार्थी के शैक्षणिक योग्यता में मध्यमा में प्राप्तांक–55.57%, इंटर में प्राप्तांक–48.20% तथा कम्प्यूटर डिग्री में ADCA प्राप्त था। अपीलार्थी द्वारा आवेदन के समय ही अपनी सभी योग्यता प्रमाण पत्र संबंधित प्राधिकार को उपलब्ध करा दिया गया था। उक्त आवेदन के जाँचोपरांत अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी द्वारा प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम सं0–05 पर तो अंकित था, परन्तु अभ्युक्ति कॉलम में संस्कृत शिक्षा बोर्ड, इंटर का प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र अप्राप्त अंकित किया गया। जबकि अपीलार्थी द्वारा सभी प्रमाण पत्र संलग्न किया गया था। जिला चयन समिति द्वारा गलत तरीके से अपीलार्थी का नाम क्रम सं0–36 पर दिखाया गया एवं यह अंकित किया गया कि संबंधित पंचायत से एक भी अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी नहीं है। उक्त आदेश से व्यथित होकर जिला चयन समिति के आदेश दिनांक–29.09.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील दायर किया गया है। इनका आगे कथन है कि जिला चयन समिति द्वारा पारित	

आदेश विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं है तथा क्षेत्राधिकार से परे है।

क्रमशः

लगातार
11.03.2023

जिला चयन समिति द्वारा औपबंधिक मेधा सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम सं0–05 पर तो दर्शाया गया, लेकिन मेधा सूची में दर्शाया गया कि अनुसूचित जाति का कोई भी अभ्यर्थी मेधा सूची में उपलब्ध नहीं है। जिला चयन समिति द्वारा इस बात को नजर अंदार किया गया कि अपीलार्थी अनुसूचित जाति वर्ग की अभ्यर्थी है। साथ हीं संबंधित पंचायत में जन वितरण प्रणाली विक्रेता के अनुज्ञप्ति हेतु अब तक रिक्त है। उपरोक्त वर्णित स्थिति में अपीलार्थी द्वारा चयन समिति के आदेश को अपीलार्थी द्वारा चयन समिति के आदेश को रद्द करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत कर इन्हें संबंधित रिक्ति के विरूद्ध चयन का आदेश निर्गत करने की प्रार्थना की गई है।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा पत्रांक–599, दिनांक–22.04.2021 के माध्यम से मंतव्य समर्पित करते हुए अंकित किया गया है कि अमौर प्रखंड अंतर्गत आमगाछी पंचायत के रोस्टर बिन्दु के अनुसार अनुसूचित जाति का 01 रिक्त पद के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा आवेदन किया गया था। चयन समिति द्वारा उनकी योग्यता संस्कृत शिक्षा बोर्ड, इंटर का प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र अप्राप्त रहने के कारण चयन नहीं किया गया है।

उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सु–संगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा संबंधित मामले में जिला चयन समिति के विरूद्ध सीधे इस न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया है, जबकि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 32 के अनुसार संबंधित मामले में जिला पदाधिकारी अपीलीय प्राधिकार नियुक्त किये गये हैं। प्रस्तुत अपील वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें।

लेखापित एवं शुद्धित।

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.